6-6-24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. कर लिये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा [illegible] आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं [illegible] एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं वकील प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय [illegible] शामिल किया जाकर शा.प. किया गया। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:51:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 194/24 प्रा.पत्र

श्री सुरेन्द्र सिंह S/o गणपत सिंह राजपूत निवासी- केरिया तहसील- माण्डल

प्रार्थी

बनाम

श्री पतसिंह S/o गणपतसिंह राजपूत निवासी- केरिया तहसील- माण्डल (वगैरा)
(पृष्ठांकित प्रा. पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 06-06-24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवीपुरा ....पटवार हल्का......केरिया..............तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की भूमि खसरा नं0 ....02..........कुल किता.......01.........रकबा 3.2881......हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि पक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23.5.24..........को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण के अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रकरण की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम देवीपुरा ......पटवार हल्का......केरिया......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.......02...................... कुल किता.......................01............रकबा 3.2881......हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक क.आत्मास कमिश्नर 1400......रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजुदगी में मौके पर कब्जे यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:51:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा